कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय–आदेश

अपील संख्या 5838/2021 अशोक कुमार बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.11.2021 में अप्रार्थीगण को अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को कन्सीडर कर आख्यात्मक आदेश के जरिए निस्तारित करने के निर्देश दिये गए।

अपीलार्थी द्वारा अभ्यावेदन में मुख्य रूप से यह कथन किया गया है कि अपीलार्थी वर्तमान मे राउमावि, चुबकिया ताल, जिला–चुरू में वरिष्ठ अध्यापक (गणित) के पद पर कार्यरत है। अपीलार्थी के कथनानुसार अपीलार्थी का स्थानान्तरण उसके आवेदन के अनुसार नहीं किया गया है। अन्तर मण्डल स्थानान्तरण होने के कारण वरिष्ठता का भी विलोपन हो रहा है। अतः अपीलार्थी ने अभ्यावेदन प्रस्तुत कर स्थानान्तरण आदेश को निरस्त करके पूर्व पदस्थापन स्थान पर यथावत करने की मांग की है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.11.2021 के परिप्रेक्ष्य एवं विभागीय नियमों, अभिलेखीय व नीतिगत स्थिति के सम्बन्ध में गहन अवलोकन व परीक्षण किया गया। कार्यालय हाजा के स्थानान्तरण आदेश दिनांक 14.08.2021 के बिन्दु संख्या–04 में "वरिष्ठ अध्यापक एवं समकक्ष का मण्डल परिवर्तन होने पर कार्यमुक्ति तथा कार्यग्रहण के समय स्वेच्छा से स्थानान्तरण अंकित करते हुए पूर्व मण्डल की वरिष्ठता विलोपन की सहमति का शपथ पत्र लिया जाकर वरिष्ठता विलोपन (प्रपत्र–06 जारी कर) की कार्यवाही की जावें" अंकित किया गया। अपीलार्थी का अन्तर मण्डल स्थानान्तरण होने पर अपीलार्थी ने स्वेच्छा से दिनांक 16.08.2021 को प्रधानाचार्य के सम्मुख वरिष्ठता स्थानान्तरण प्रपत्र–06 प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर ही अपीलार्थी को स्थानान्तरित स्थान के लिए कार्यमुक्त किया गया है।

अपीलार्थी की स्वेच्छा से स्थानान्तरण होने पर पूर्व मण्डल में वरिष्ठता विलोपन एवं नवीन स्थानान्तरित मण्डल में वरिष्ठता निर्धारण की कार्यवाही संबधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा द्वारा नियमानुसार की जा चुकी है। अतः अपीलार्थी द्वारा अभ्यावेदन में स्थानान्तरण आदेश को निरस्त करके पूर्व पदस्थापन स्थान पर यथावत करने की माग तर्कसंगत एवं न्यायसंगत नहीं है। उक्तानुसार इस मांग को अस्वीकृत की जाकर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन निस्तारित किया जाता है।

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

(काना राम)
आई ए एस.
निदेशक,माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान,बीकानेर

क्रमांकः– शिविरा–मा./संस्था/एफ–2/को.के./जय/13266/2021 दिनांकः– 22/02/2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, चुरू संभाग, चुरू
2. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) विधि, जयपुर
3. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा
4. सयुक्त विधि परामर्शी, कार्यालय हाजा
5. अपीलार्थी अशोक कुमार, वरिष्ठ अध्यापक (गणित), राउमावि, चुबकिया ताल, जिला–चुरू (रजिस्टर्ड)
6. रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)